

फर्द अहकाम

कार्यालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूमबर

श्री कन्हैयालाल

विपक्षी श्रीमती चन्दा

कदमा ७१८८

पत्रावली संख्या

123


सन्

2022

12/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकील विपक्षी सं. 1.2 उपस्थित। पार्श्वीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से वार-वार आवाने लगाई गई। उसके उपरान्त वी पार्श्वीगण मय अधिवक्ता के गैर-हाजिर रहने से पार्श्वीगण का पार्श्वीगण - पत्र अन्तर्गत - धारा - 212 R.T.A का अदम्य जरूरी व अदम्य पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैसन कुमार शेखर दाखिल दफ्तर है। निर्णय जुझे न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर सलूमबर
जिला सलूमबर